

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,  
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव. उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मंडलायुक्त. उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी. उत्तर प्रदेश।
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी. यूपीसीडा।

**औद्योगिक विकास अनुभाग-6**

**लखनऊ : दिनांक ३ अप्रैल, 2023**

विषय- उ०प्र० वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति-2022 के क्रियान्वयन के संबंध में दिशा-निर्देश एवं मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक में अवगत कराना है कि शासन की अधिसूचना संख्या-49/2022/3243/77-6-2022-4(एम)/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 द्वारा उ०प्र० वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति-2022 प्रख्यापित की गई है।

2- उ०प्र० वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति-2022 के क्रियान्वयन हेतु निम्नवत दिशा-निर्देश एवं मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) निर्गत की जा रही है :-

1. उ०प्र० वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति-2022 अगले 5 वर्षों तक यानी 27 दिसंबर 2027 तक या समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी संशोधन या निरसन तक लागू होगी।
2. उ०प्र० वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति-2018 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों को उ०प्र० वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति-2018 के प्रविधानों के अन्तर्गत निस्तारित किया जाएगा।
  - 2.1 उ०प्र० वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति-2018 के अन्तर्गत जिन परियोजनाओं को लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) जारी किया जा चुका है वह स्विच / माइग्रेट नहीं कर सकती हैं।
  - 2.2 उ०प्र० वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति-2018 के अन्तर्गत विचाराधीन प्रस्तावों (28.12.2022 से पहले प्रस्तुत प्रस्ताव) में निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध होंगे:

*Manoj*

क) डब्ल्यूएल नीति 2018 के तहत प्रोत्साहन जारी रखना

अथवा

ख) नई नीति(2022) की अधिसूचना की तारीख 28.12.2022 से एक वर्ष के भीतर नई नीति के अंतर्गत माइग्रेट /आवेदन करने का एक बार विकल्प उपलब्ध रहेगा।

3. उ०प्र० वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति-2022 से आच्छादित कई उद्योग/उद्यमियों द्वारा स्वयं अथवा वित्तीय संस्थाओं से वित्त पोषित होते हुये प्रोजेक्ट स्थापित किए जाते हैं। अर्थात नीति के अन्तर्गत वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त नहीं करते। यदि ऐसे उद्योग/उद्यमी भी उ०प्र० वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति-2022 के प्रविधानों से आच्छादित हैं और उ०प्र० वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति-2022 के अन्य प्रविधानों के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए आवेदन करते हुये "यूनीक आईडी" प्राप्त कर सकते हैं।
4. उ०प्र० वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति-2022 के अन्तर्गत "यूनीक आईडी" प्राप्त योजनाओं को योजना स्थल के बीच सरकारी चक रोड और नाली/ग्राम सभा/सरकारी भूमि होने की दशा में उसका विनिमय (Exchange), गैर कृषि उपयोग की घोषणा तथा भू-उपयोग परिवर्तन (Conversion of Land Use) नोडल एजेंसी द्वारा फैसेलिटेड कर संबंधित विभागों के सक्षम प्राधिकारी द्वारा कराया जाएगा।
5. उ०प्र० वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति-2022 में परिभाषित वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स इकाइयां, जो पूर्व में स्थापित हैं वह भी इस प्रकार की गैर वित्तीय सुविधाओं के लिए उदाहरणतः परियोजना स्थल के मध्य आने वाले सार्वजनिक भूमि नाली व चक रोड के विनिमय विषयक 10 फरवरी 2021 के शासनादेश (समय समय पर संशोधित ) का लाभ प्राप्त कर सकती हैं।
6. नीति का उद्देश्य एकीकृत लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करना, उत्पाद की परिवहन लागत/समय को कम करना तथा परिवहन के माध्यमों को जोड़ना, राज्यों और देशों से आयात/निर्यात हेतु अवस्थापना सुविधाओं का सुदृढ़ ढांचा विकसित करना है।
7. नोडल एजेंसी वेयरहाउसिंग सुविधा, ड्राई पोर्ट और लॉजिस्टिक्स पार्क की परियोजनाओं के लिए नोडल एजेंसी उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) होगी।
8. थर्ड पार्टी का पैनल तैयार करना (ThirdPartyEmpanelment): नोडल एजेंसी यथावश्यकता C.A/ इंजीनियर्स/Valuer/ संस्थानों इत्यादि को सूचीबद्ध करेगा और नीति के तहत प्राप्त परियोजनाओं/ प्रस्ताव के मूल्यांकन, किए गए कार्यों का सत्यापन इन थर्ड पार्टी द्वारा करने के उपरांत स्वीकृति एवं भुगतान की कार्यवाही करेगा।

## 9. नीतिगत प्रोत्साहन

12.5 एकड़ से अधिक भूमि क्रय हेतु अनुमति: उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (संशोधित) धारा 89(1) में यह प्रविधान है कि कोई भी व्यक्ति राज्य में 12.5 एकड़ से अधिक कि कृषि भूमि धारित नहीं कर सकता है। यह प्रतिबंध कृषि भूमि रखने पर है, जबकि कोई उद्योग वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स यूनिट स्थापित करने के लिए भूमि क्रय करना चाहता है न कि कृषि कार्य के लिए। यह प्रविधान 12.5 एकड़ से कम क्षेत्रफल वाले भागों के क्रय को प्रोत्साहित करता है, क्रेता पहले इसे गैर-कृषि भूमि घोषित करवाता है और फिर आगे की क्रय प्रक्रिया सम्पन्न करता है। उद्योग द्वारा आवेदन करने पर यह अनुमति 45 दिनों में संबन्धित प्राधिकारी (20 हेक्टेयर तक के लिए जिला मजिस्ट्रेट, 40 हेक्टेयर तक के मण्डलायुक्त और 40 हेक्टेयर से अधिक के लिए राज्य सरकार) द्वारा प्रदान करने की व्यवस्था है। राजस्व विभाग की प्रचलित प्रक्रिया में क्रय के लिए प्रस्तावित गाटा नम्बरों/ प्लॉट नंबरों का उल्लेख करने के लिए भी कहा जाता है, इस आवश्यकता को राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या 04/2023/प्र.स.-46/एक-1-2023-रा.-1, दिनांक 15.03.2023 द्वारा समाप्त किया जा चुका है। उक्त शासनादेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 से संबंधित परियोजनाओं के सहज संस्थापना हेतु निर्गत किया गया है। उक्त शासनादेश दिनांक 15.03.2023 में वर्णित प्राविधान 30प्र0 वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति-2022 से आच्छादित पात्र परियोजनाओं के संबंध में भी लागू कराया जाएगा।

10. यूपी-वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2022 के अंतर्गत परियोजनाओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए पात्रता मापदंड (न्यूनतम क्षेत्र और न्यूनतम पूंजी निवेश) निम्नलिखित हैं-

क्र०स०	वेयरहाउसिंग सुविधा परियोजना	नीति संदर्भ
1	<b>गोदाम:</b> न्यूनतम क्षेत्रफल: 1 लाख वर्ग फुट (2.296 एकड़) न्यूनतम पूंजी निवेश: 20 करोड़	यूपी-डब्ल्यूएलपी 22, CI.9.1.1, बिंदु 4 i, Pg 19/45
2	<b>वेयरहाउसिंग Silos:</b> न्यूनतम क्षेत्रफल: 4 एकड़ (174240 वर्ग फुट) न्यूनतम पूंजी निवेश: 30 करोड़	यूपी-डब्ल्यूएलपी 22, CI.9.1.1, बिंदु 4 ii, Pg 19/45
3	<b>कोल्ड चैन सुविधा:</b> न्यूनतम क्षेत्रफल: 20000 वर्ग फुट (0.459 एकड़)	यूपी-डब्ल्यूएलपी 22, CI.9.1.1, बिंदु 4iii, Pg 19/45

	न्यूनतम पूंजी निवेश: 15 करोड़	
<b>ड्राई पोर्ट्स प्रोजेक्ट</b>		
4	<b>अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी):</b> न्यूनतम क्षेत्र: 10 एकड़ न्यूनतम पूंजी निवेश: 50 करोड़	यूपी-डब्ल्यूएलपी 22, CI.9.2.1, बिंदु 4 i, Pg 24/45
5	<b>कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस)</b> न्यूनतम क्षेत्र: 10 एकड़ न्यूनतम पूंजी निवेश: 50 करोड़	यूपी-डब्ल्यूएलपी 22, CI.9.2.1, बिंदु 4 ii, Pg 24/45
<b>लॉजिस्टिक्स पार्क परियोजना</b>		
6	न्यूनतम क्षेत्र: 25 एकड़ न्यूनतम पूंजी निवेश: लागू नहीं।	यूपी-डब्ल्यूएलपी 22, CI.9.3.1, बिंदु 4, Pg 28/45
<b>अंतर्देशीय जलमार्ग सुविधा परियोजना</b>		
7	<b>बर्थिंग टर्मिनल</b> कार्गो हैंडलिंग क्षमता: 5000 टन न्यूनतम पूंजी निवेश (भूमि लागत): 20 करोड़	यूपी-डब्ल्यूएलपी 22, CI.9.4.1, बिंदु 4, Pg 34/45
8	<b>अंतर्देशीय जहाज</b> कार्गो हैंडलिंग क्षमता: 500 टन पूंजी निवेश (भूमि लागत): लागू नहीं।	यूपी-डब्ल्यूएलपी 22, CI.9.4.2, बिंदु 1, Pg 36/45
<b>कार्गो टर्मिनल परियोजना</b>		
9	<b>ग्रीनफील्ड कार्गो टर्मिनल (गति शक्ति योजना के तहत नहीं)</b> न्यूनतम क्षेत्र: 10 एकड़ न्यूनतम पूंजी निवेश (भूमि लागत): 20 करोड़	यूपी-डब्ल्यूएलपी 22, CI.9.5, बिंदु 4 ii, Pg 37/45
<b>ट्रकर पार्क परियोजना</b>		
10	न्यूनतम क्षेत्र: 10 एकड़ न्यूनतम पूंजी निवेश: लागू नहीं।	यूपी-डब्ल्यूएलपी 22, CI.9.6, बिंदु 3, Pg 39/45

**11. कार्यान्वयन की मानक संचालन प्रक्रिया :**

वेयरहाउसिंग सुविधा, ड्राई पोर्ट और लॉजिस्टिक्स पार्क की परियोजनाओं के लिए मानक संचालन प्रक्रिया निम्नवत होगी-

11.1 यूपी-वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2022 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख परिभाषाएं हैं (जहां भी नीति में इसे विशिष्ट परियोजना श्रेणी के लिए परिभाषित किया गया है, इसे तदनुसार वर्गीकृत किया गया है): -

क्रम सं०	मद	वर्णन
1	योग्य निवेश अवधि (ईआईपी) (Eligible Investment Period)	<p>वेयरहाउस सुविधा परियोजना: प्रथम निवेश की तारीख से शुरू होने वाली अवधि यानी कट ऑफ तिथि(क्रमांक-3)से प्रभावी अवधि (क्रमांक-2) के अंदर 3 वर्ष या वाणिज्यिक संचालन शुरू होने की तारीख तक, जो भी पहले हो। (संदर्भ: यूपी-डब्ल्यूएलपी 22, सीएल 9.1.11, बिंदु 9, पृष्ठ 21/45)</p> <p>ड्राई पोर्ट्स प्रोजेक्ट: निवेश की पहली तारीख से शुरू होने वाली परियोजना प्रभावी अवधि 5 साल तक या वाणिज्यिक संचालन शुरू होने की तारीख तक, जो भी पहले हो (संदर्भ: यूपी-डब्ल्यूएलपी 22, सीएल 9.2.11 बिंदु 9, पृष्ठ 26/45)</p> <p>लॉजिस्टिक्स पार्क परियोजना: निवेश की पहली तारीख से शुरू होने वाली प्रभावी अवधि 5 साल तक या वाणिज्यिक संचालन शुरू होने की तारीख तक, जो भी पहले हो (संदर्भ: यूपी-डब्ल्यूएलपी 22, सीएल 9.3.11 बिंदु 9, पृष्ठ 31/45)</p>
2	प्रभावी अवधि (संदर्भ: यूपी-डब्ल्यूएलपी 22, सीएल 9.1.11 बिंदु 2, पृष्ठ 19/45)	प्रभावी तिथि से शुरू होने वाली अवधि (क्रमांक-4) उस अवधि तक जिसके लिए नीति लागू रहती है (5 वर्ष) या जब तक समय-समय पर अधिसूचित राज्य सरकार द्वारा कोई संशोधन या निरसन नहीं किया जाता है।
3	कट-ऑफ दिनांक (संदर्भ: यूपी-डब्ल्यूएलपी 22, सीएल 9.1.11 बिंदु 3, पृष्ठ 19/45)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• पॉलिसी की प्रभावी तिथि यानी 28.12.2022 या उसके बाद निवेश शुरू होने की स्थिति में परियोजना के निवेश की पहली तारीख</li> <li>➤ यदि निवेश प्रभावी तिथि से पहले शुरू होता है, तो कट-ऑफ तारीख पॉलिसी की प्रभावी तारीख होगी।</li> <li>➤ यदि प्रभावी तिथि से पहले संपूर्ण भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, तो जिस तारीख को पूंजी निवेश के तहत परिभाषित किसी भी अन्य शीर्ष (भूमि को छोड़कर) के</li> </ul>

*Manoj*

		लिए पहला निवेश प्रभावी तिथि को या उसके बाद किया जाता है, उसे कट-ऑफ तिथि माना जाएगा
4	<b>प्रभावी तिथि</b> (संदर्भ: यूपी-डब्ल्यूएलपी 22, सीएल 9.1.11 बिंदु 1, पृष्ठ 19/45)	दिनांक जिससे नीति प्रभावी हो जाती है, जो कि 28.12.2022 है।
5	<b>विकासकर्ता</b> (संदर्भ: यूपी-डब्ल्यूएलपी 22, सीएल 9.1.11 बिंदु 5, पृष्ठ 20/45)	विधिक अस्तित्व वाली प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, सहकारी समिति, कंपनी, ट्रस्ट, गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ), सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) या एसपीवी के रूप में पंजीकृत बॉडी है।
6	<b>संचालक</b> (संदर्भ: यूपी-डब्ल्यूएलपी 22, सीएल 9.1.11 बिंदु 6, पृष्ठ 20/45)	एक ऐसी इकाई जिसे इस नीति में यथा परिभाषित पात्र परियोजना के परिसर को व्यवसायिक प्रचालन के लिए पट्टे/किराए पर प्रदान किया गया है। इस नीति के अंतर्गत किसी भी पात्र परियोजना को स्वीकृत लाभ/प्रोत्साहन उस परियोजना के विकासकर्ता/संचालक को यथा लागू होते रहेंगे। संचालक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए कोई न्यूनतम पट्टा / किराया अवधि आवश्यक नहीं होगी।
7	<b>यूनीक आईडी</b> (संदर्भ: यूपी-डब्ल्यूएलपी 22, सीएल 10.1.ए पॉइंट 3, पृष्ठ 41/45)	नोडल एजेंसी द्वारा पूर्ण और प्रासंगिक पाई गई परियोजनाओं के लिए जारी एक अलग यूनीक आईडी (आवेदन आईडी के अलावा) जो गैर- वित्तीय /वित्तीय फ्रंट एंड प्रोत्साहन के लिए पात्र पाई गई।
8	<b>आवेदन प्रोसेसिंग शुल्क</b>	फ्रंट एंड प्रोत्साहन(ओं) के लिए प्रोसेसिंग शुल्क रु.10,000.00 होगा।
9	<b>अधिकतम अनुमन्य प्रोत्साहन</b> (यूपी-डब्ल्यूएलपी 22, नोट्स, 9.1.2 (बी), 9.2.2 (बी), 9.3.2 (बी)), पृष्ठ 23, 28, 33/45)	किसी भी परियोजना को प्रदान की गई छूट सहित सभी लाभों का योग पॉलिसी के तहत परिभाषित पात्र पूंजी निवेश के 100% से अधिक नहीं होगा।

10	<b>स्वीकार्य अवधि</b> <i>(यूपी-डब्ल्यूएलपी 22, 9.1.2, 9.2.2, 9.3.2, 9.6 (7), पृष्ठ 22, 27, 32, 40/45)</i>	योग्य निवेश अवधि (ईआईपी)
11	<b>वाणिज्यिक संचालन की शुरुआत</b> <i>(यूपी-डब्ल्यूएलपी 22, नोट्स: बिंदु 2, 9.1.2 (बी), 9.2.2 (बी), 9.3.2 (बी)), पृष्ठ 23, 28, 33/45)</i>	उपायुक्त (जीएम-डीआईसी), जिला उद्योग केंद्र द्वारा जारी प्रमाण पत्र में उल्लिखित योग्य निवेश अवधि (Eligible Investment Period) के अन्दर वाणिज्यिक संचालन प्रारम्भ करने की तारीख।
12	<b>कुल पूंजी निवेश</b> <i>(यूपी-डब्ल्यूएलपी 22, 9.1.1 (7) - भूमि, पृष्ठ 20; 9.2.1 (7) -भूमि, पृष्ठ 25; 9.3.1 (7)-भूमि, पृष्ठ 29)</i>	आवेदक द्वारा प्रस्तावित कुल निवेश, जिसमें वास्तविक भूमि मूल्य, भवन की कुल लागत, अन्य निर्माण, उपकरण और प्रतिष्ठान और नीति में परिभाषित बुनियादी सुविधाएं शामिल हैं।
13	<b>पूंजी निवेश</b> <i>(यूपी-डब्ल्यूएलपी 22, 9.2.1 (7), पृष्ठ 24; 9.3.1 (7) पृष्ठ 29/45)</i>	कुल पूंजी निवेश का अधिकतम 40% ही भूमि घटक (स्टाम्प शुल्क और भुगतान किए गए पंजीकरण शुल्क को छोड़कर) पर निवेश माना जाएगा तथा अन्य निर्माण लागत (भवन / इन्फ्रा / उपकरण आदि) के निवेश के साथ Arrived Capital Investment का निर्धारण किया जाएगा। Arrived Capital Investment नीति में उल्लिखित संबंधित परियोजना की पात्रता मानदंडों के लिए आवश्यक सीमा/न्यूनतम निवेश होगा।
14	<b>पात्र पूंजी निवेश (ईसीआई)</b> <i>(यूपी-डब्ल्यूएलपी 22, 9.2.1 (7), पृष्ठ 24; 9.3.1 (7) पृष्ठ 29/45)</i>	<b>स्वीकार्य कुल प्रोत्साहनों का निर्धारण करने के लिए पात्र पूंजी निवेश निर्धारित किया जाता है-</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>यदि प्रभावी तिथि से पहले पूंजी निवेश शुरू किया गया है, तो कम से कम 80% पूंजी निवेश प्रभावी तिथि के बाद किया जाना चाहिए और उसी पूंजी निवेश को स्वीकार्य कुल प्रोत्साहन निर्धारित करने के लिए पात्र पूंजी निवेश के रूप में माना जाएगा।</li> <li>यदि भूमि में निवेश प्रभावी तिथि से पहले किया जाता है, तो भूमि में ऐसा निवेश किसी भी प्रोत्साहन के लिए पात्र नहीं होगा, लेकिन नीति में उल्लिखित संबंधित</li> </ol>

		परियोजना पात्रता मानदंडों के लिए आवश्यक सीमा/न्यूनतम निवेश को निर्धारित करने के लिए भूमि की बुक वैल्यू पर मूल्यांकन को शामिल किया जाएगा।
15	मानचित्र स्वीकृति एवं सम्पूर्णता प्रमाण पत्र (Map Approval & Completion Certificate)	संबंधित औद्योगिक विकास प्राधिकरण /विकास प्राधिकरण द्वारा मानचित्र स्वीकृत किए जाएंगे एवं विकास कार्य पूर्ण होने के संबंध में सम्पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करेंगे। औद्योगिक विकास प्राधिकरण /विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्रों के बाहर के क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति-2022 के अंतर्गत आवेदन करने वाली ऐसी वेयरहाउस एवं लॉजिस्टिक्स इकाईयों के लिए मानचित्र अनुमोदन तथा सम्पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु यूपीसीडा (नोडल एजेन्सी) प्राधिकृत होगी।

#### 11.2 सन्निरिक्षा समिति (Scrutiny Committee)/(यूपी-डब्ल्यूएलपी 22, 10.1 (4), पृष्ठ 41/45)

उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति-2022 के क्रियान्वयन हेतु उक्त नीति के प्रस्तर-10.1 के क्रम में लॉजिस्टिक्स पार्क/लॉजिस्टिक्स एवं वेयरहाउसिंग इकाईयों की स्थापना से संबंधित प्राप्त प्रार्थना पत्रों के परीक्षण हेतु सन्निरिक्षा समिति गठित की जाती है। जिसका संघटन (Composition) निम्नवत है:-

मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा	अध्यक्ष
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, राजस्व, वित्त, परिवहन, नियोजन, ऊर्जा; सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन; पर्यावरण, श्रम, कौशल विकास, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा नामित सदस्य।	सदस्य
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी0	सदस्य
प्रबंध निदेशक, राज्य भण्डारण निगम, उ0प्र0 द्वारा नामित सदस्य	सदस्य
प्रासंगिक जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र/संबंधित अन्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधि	सदस्य
समिति के अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विभागों के प्रतिनिधि	सदस्य
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा	सदस्य संयोजक

Manoj



### सन्निरीक्षा समिति के कार्य-

1. निवेश मित्र पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की पूर्णता एवं प्रासंगिकता की जांच करके 'यूनीक आईडी' निर्गत करना
2. आवश्यक सन्निरीक्षा के उपरान्त आवेदनों को लेटर h फ निर्गत करने अथवा प्रोत्साहनों के संवितरण हेतु प्रकरण के अनुसार अधिकार प्राप्त समिति (Empowered Committee) अथवा उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (High Level Empowered Committee) के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रस्ताव तैयार करना।

### 11.3 अधिकार प्राप्त समिति (Empowered Committee) (ईसी) (यूपी-डब्ल्यूएलपी 22, 10.2 (1), पृष्ठ 42/45)

उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति-2022 के अनुसार रु.100.00 करोड़ तक के पूंजी निवेश वाली पात्र परियोजनाओं के लिए, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ०प्र०शासन की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाता है, जिसका संघटन (Composition) निम्नवत है:-

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ०प्र०शासन	अध्यक्ष
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव- आवास एवं शहरी नियोजन, राजस्व, वित्त, विधि एवं न्याय, औद्योगिक विकास, परिवहन, नियोजन, ऊर्जा, एमएसएमई, पर्यावरण, श्रम, कौशल विकास विभाग।	सदस्य
समिति के अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विभागों के प्रतिनिधि	सदस्य
मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा	सदस्य संयोजक

नोट:समिति की बैठक में आवेदक/उसके प्रतिनिधि को आमंत्रित किया जाएगा। हालांकि, आवेदक / प्रतिनिधि की गैर-उपस्थिति अनुमोदन प्रक्रिया में बाधा नहीं होगी।

### 11.4 उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (High Level Empowered Committee) (एचएलईसी) (यूपी- डब्ल्यूएलपी 22, 10.2 (2), पृष्ठ 42/45)

उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति-2022 के अनुसार रु.100.00 करोड़ से अधिक के पूंजी निवेश वाली पात्र परियोजनाओं के लिए, मुख्य सचिव, उ०प्र०शासन की

अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाता है, जिसका संघटन (Composition) निम्नवत है:-

मुख्य सचिव, 30प्र0शासन	अध्यक्ष
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, 30प्र0शासन	सदस्य
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव- आवास एवं शहरी नियोजन, राजस्व, वित्त, विधि एवं न्याय, औद्योगिक विकास, परिवहन, नियोजन; ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन; पर्यावरण, श्रम, कौशल विकास विभाग।	सदस्य
समिति के अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विभागों के प्रतिनिधि	सदस्य
मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा	सदस्य संयोजक

#### 11.5 अनुमोदन प्राधिकारी (यूपी-डब्ल्यूएलपी 22, 10.2 (3), पृष्ठ 42/45)

ईसी/एचएलईसी (जो भी लागू हो) के अनुमोदन/स्वीकृति के बाद एलओसी जारी करने तथा परियोजना हेतु अनुमन्य प्रोत्साहनों का अंतिम अनुमोदन निम्नवत दिया जाएगा-

- रु.100.00 करोड़ तक के पूंजी निवेश वाली परियोजनाएं: माननीय औद्योगिक विकास मंत्री, उत्तर प्रदेश।
- रु.100.00 करोड़ से अधिक के पूंजी निवेश वाली परियोजनाएं - माननीय मंत्रिपरिषद।

#### 11.6 संशोधन प्रविधान (नया खंड)

प्रोत्साहन के अनुमोदन अथवा संवितरण से संबंधित प्राप्त आवेदनों की सन्निरिक्षा इत्यादि में किसी संशोधन की आवश्यकता पड़ती है तो अधिकार प्राप्त समिति या उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति, जो भी अधिकृत हो, के अनुमोदन से नोडल एजेन्सी द्वारा किया जाएगा।

12. यूपी-वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2022 के अंतर्गत नामित नोडल एजेंसी, ऑनलाइन प्रोत्साहन प्रबंधन प्रणाली (ओआईएमएस) के माध्यम से नीति के कार्यान्वयन का प्रबंधन करेगी, जिसकी निम्नलिखित प्रक्रिया होगी:

- आवेदक को सरकार के सिंगल विंडो पोर्टल यानी निवेश मित्र (<https://niveshmitra.up.nic.in/>) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसे

*Manoj*

- यूपीसीडा के वेयरहाउसिंग पोर्टल (<https://eservices.onlineupsidc.com/>) या अन्य संबन्धित विभागों के पोर्टलों पर री-डायरेक्ट किया जाएगा।
2. आवेदक जो चरणवार तरीके से वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स सुविधा के तहत परियोजना को विकसित करना चाहते हैं, तो उन्हें आवेदन के समय या पहले चरण के पूरा होने से पहले चरणवार प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।
  3. 'सन्निरीक्षा समिति' द्वारा पूर्ण और प्रासंगिक पाए गए आवेदनों को यूनीक आईडी जारी करने के लिए अनुमोदित किया जाएगा। नोडल एजेंसी द्वारा एक यूनीक आईडी (फार्म-4 जो कि अनुलग्नक-1 पर उपलब्ध है) जारी की जाएगी। नीति में वर्णित फ्रंट एंड (Front End) प्रोत्साहनों का लाभ उठाने के लिए यूनीक आईडी पर्याप्त होगी। हालांकि, बैक एंड (Back End) प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु आवेदकों को बाद में लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) निर्गत किया जाएगा।
  4. नोडल एजेंसी द्वारा जारी यूनीक आईडी के सत्यापन के बाद संबंधित विभाग/एजेंसी आवेदक द्वारा छूट के समतुल्य राशि की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर फ्रंट एंड (Front End) प्रोत्साहन (छूट/रियायत) प्रदान करेगा। स्वीकार्य अवधि के भीतर वाणिज्यिक संचालन शुरू होने पर नोडल एजेंसी द्वारा प्रस्तावित फ्रंट एंड (Front End) प्रोत्साहन संबंधित विभाग (स्टाम्प एवं पंजीयन, आवास एवं शहरी नियोजन आदि) को सूचित किया जाएगा तत्पश्चात बैंक गारंटी संबन्धित विभाग द्वारा वापस की जाएगी।
  5. यूनीक आईडी जारी करने के बाद नोडल एजेंसी अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) या उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (एचएलईसी) के विचारार्थ अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगी। इसके बाद 'लेटर ऑफ कम्फर्ट' जारी करने एवं अन्य बैंक-एड प्रोत्साहन को अनुमन्य करने के लिए ₹.100.00 करोड़ तक की पूंजी निवेश वाली पात्र परियोजनाओं के लिए अधिकार प्राप्त समिति(ईसी) एवं ₹.100.00 करोड़ से अधिक के पूंजी निवेश वाली पात्र परियोजनाओं के लिए उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति(एचएलईसी) से अंतिम अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। नोडल एजेंसी अनुमोदन प्राधिकारी (प्रश्नगत शासनादेश के प्रस्तर-11.5 में परिभाषित है) द्वारा वित्तीय प्रोत्साहनों के अनुमोदन के बाद "लेटर ऑफ कम्फर्ट" जारी करेगी।
  6. यदि, परियोजना के मापदंडों में परिवर्तन, परियोजना की प्रकृति या परियोजना की लागत में परिवर्तन, आवेदक द्वारा किया जाता है (एलओसी के बाद और पूरा होने से

- पहले), जिससे इसकी श्रेणी में बदलाव हो सकता है, शर्तों में बदलाव हो सकता है, आदि, तो नोडल एजेंसी को अंतिम निर्णय के लिए ईसी / एचएलईसी के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।
7. योग्य निवेश अवधि (ईआईपी) के दौरान परियोजना में वास्तविक निवेश के लिए अपेक्षित सीए प्रमाण पत्र, चार्टर्ड इंजीनियर से मूल्यांकन प्रमाण पत्र और संबंधित विकास प्राधिकरण / एजेंसी से पूर्णता प्रमाण पत्र के साथ आवेदक द्वारा संबंधित उपायुक्त (जीएम-डीआईसी), जिला उद्योग केंद्र द्वारा जारी वाणिज्यिक संचालन की शुरुआत का प्रमाण पत्र के साथ बैंक एंड प्रोत्साहनों/छूट के संवितरण हेतु जारी किए जाने हेतु आवेदन किया जाएगा।(फार्म-6 जो कि अनुलग्नक-1 पर उपलब्ध है)
  8. नोडल एजेंसी वाणिज्यिक संचालन शुरू करने तथा निवेश के सत्यापन के बाद स्वीकृत लाभों (बैंक एंड प्रोत्साहन/सब्सिडी जो संबंधित राज्य विभाग / एजेंसी द्वारा दी जाएगी) के संवितरण हेतु अनुमोदन प्राधिकारी (प्रश्नगत शासनादेश के प्रस्तर-11.5 में परिभाषित है) से अनुमोदन प्राप्त कर उक्त लाभों का संवितरण करते हुए संबंधित विभागों को सूचित भी करेगी।
  9. यदि नीति के अंतर्गत निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई परियोजना सुविधाएं विकसित नहीं की जाती हैं, तो विकासकर्ता द्वारा विलम्ब के कारणों /साक्ष्यों के साथ अवधि विस्तार के अनुरोध पर नोडल एजेंसी द्वारा 'अधिकार प्राप्त समिति' या 'उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति' से अनुमोदन प्राप्त करके अवधि के विस्तार पर विचार किया जाएगा।
  10. जब विकासकर्ता/संचालक द्वारा भौतिक तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करके/तथ्यों को छिपाकर या गलत दस्तावेज़/जानकारी प्रस्तुत करके प्रोत्साहन/छूट प्राप्त करना सिद्ध होता हो तो ऐसी स्थिति में विकासकर्ता/संचालक द्वारा प्राप्त प्रोत्साहन/छूट की राशि को भूमि राजस्व के बकाया के रूप में प्रत्येक प्रोत्साहन/छूट प्राप्त करने की तिथि से वसूल किए जाने की तिथि तक 12 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर के साथ वसूल किया जाएगा।
  11. विकासकर्ता को परियोजना के पूरा होने तक परियोजना की तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

13. राजकोषीय प्रोत्साहन

1. भंडारण सुविधाएं (गोदाम, Silos, कोल्ड चैन सुविधा) (संदर्भ: डब्ल्यूएलपी -22, 9.1.2 पृष्ठ 22,23/45)

क्र०स०	मद	प्रोत्साहन	संबंधित विभाग
1	स्टांप शुल्क	<p>क्रय की गई भूमि या लीज पर ली गई (कम से कम 10 वर्ष की अवधि के लिए) पर स्टाम्प शुल्क की छूट निम्नलिखित दरों पर प्रदान की जाएगी:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्र एवं 'ताज ट्रेपेजिएम जोन' से आच्छादित क्षेत्र में 100%</li> <li>• मध्यांचल और पश्चिमांचल में 75% छूट (गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद को छोड़कर)</li> <li>• गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में 50% की छूट</li> </ul>	स्टाम्प एवं निबंधन
2	भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क	भू- उपयोग परिवर्तन शुल्क का 75% माफ (waived off) कर दिया जाएगा	संबंधित परियोजना क्षेत्र का विकास प्राधिकरण / एजेंसी
3	बाह्य विकास शुल्क	बाह्य विकास शुल्क में 75% छूट प्रदान की जाएगी	संबंधित परियोजना क्षेत्र का विकास प्राधिकरण / एजेसी
4	ग्राउंड कवरेज	ऐसी स्टैंड अलोन भंडारण सुविधाओं को 60% तक ग्राउंड कवरेज की अनुमति दी जाएगी।	संबंधित परियोजना क्षेत्र का विकास प्राधिकरण / एजेंसी

*Manoj*

**A. बैंक-एंड सब्सिडी**

क्र०स०	मद	प्रोत्साहन	संबंधित विभाग
1	पूँजीगत सब्सिडी	<p>गोदामों/साइलो/कोल्ड चैन सुविधा के लिए पात्र पूँजी निवेश के 15% की दर से निम्नवत शर्तों के अधीन पूँजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>राज्य में कहीं भी ऐसी सुविधाएं स्थापित करने के लिए अधिकतम 5 करोड़ रुपये।</li> <li>नामित लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों में ऐसी सुविधाओं की स्थापना के लिए अधिकतम 10 करोड़ रुपये</li> </ul> <p>नोट: वाणिज्यिक संचालन शुरू होने के बाद एक बार भुगतान किया जाएगा।</p>	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास
2	इलेक्ट्रिसिटी इयूटी में छूट	<p>नयी परियोजनाओं /औद्योगिक इकाइयों को 10 वर्षों की अवधि के लिए 100% की दर से इलेक्ट्रिसिटी इयूटी में छूट प्रदान की जाएगी</p>	ऊर्जा /उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
3	गुणवत्ता प्रमाणन लागत प्रतिपूर्ति	<p>प्रति परियोजना गुणवत्ता प्रमाणन लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रुपये 5 लाख तक प्रतिपूर्ति की जाएगी। यह प्रतिपूर्ति लॉजिस्टिक्स/औद्योगिक इकाई द्वारा गुणवत्ता प्रमाणन लागत प्रमाण पत्र प्राप्त होने के अनुवर्तन (Consequent) में उपलब्ध करायी जाएगी।</p> <p>नोट: वाणिज्यिक संचालन शुरू होने के बाद एक बार भुगतान किया जाएगा।</p>	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास
4	कौशल विकास अनुदान	<p>प्रत्येक परियोजना के लिए 5 वर्ष तक प्रतिवर्ष अधिकतम 50 प्रशिक्षुओं की सीमा के अधीन 6 माह तक रु.1000.00 प्रति प्रशिक्षु प्रति माह मानदेय की प्रतिपूर्ति के रूप में कौशल विकास उपादान का भुगतान किया जाएगा।</p>	कौशल विकास विभाग

2. डाई पोर्ट्स (आईसीडी-अंतर्देशीय कंटेनर डिपो, सीएफएस-कंटेनर फ्रेट स्टेशन)(संदर्भ: डब्ल्यूएलपी -22, 9.2.2. पृष्ठ 27/45)

A. फ्रंट एंड प्रोत्साहन:

क्र०स०	मद	प्रोत्साहन	संबंधित विभाग
1	स्टांप शुल्क में छूट	राज्य में कहीं भी आईसीडी/सीएफएस/ एएफएस परियोजना की स्थापना के लिए क्रय की गई या लीज पर ली गई भूमि (कम से कम 10 वर्ष की अवधि के लिए) पर स्टाम्प ड्यूटी में 100% की दर से छूट प्रदान की जाएगी।	स्टाम्प एवं निबंधन
2	भू- उपयोग परिवर्तन शुल्क	भू- उपयोग परिवर्तन शुल्क का 75% माफ(waive off) कर दिया जाएगा	संबंधित परियोजना क्षेत्र का विकास प्राधिकरण / एजेंसी
3	बाह्य विकास शुल्क	बाह्य विकास शुल्क में 75% छूट प्रदान की जाएगी	संबंधित परियोजना क्षेत्र का विकास प्राधिकरण / एजेंसी
4	ग्राउंड कवरेज	स्टैंड अलोन आईसीडी/सीएफएस/एएफएस परियोजना को 60% तक ग्राउंड कवरेज की अनुमति दी जाएगी	संबंधित परियोजना क्षेत्र का विकास प्राधिकरण / एजेंसी

**B. बैंक-एंड प्रोत्साहन:**

क्र०स०	मद	प्रोत्साहन	संबंधित विभाग
1	पूंजीगत सब्सिडी	<p>पात्र पूंजी निवेश के 25% की दर से पूंजीगत सब्सिडी आईसीडी/सीएफएस/एएफएस को निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाएगी:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•राज्य में कहीं भी परियोजना स्थापित करने के लिए अधिकतम 25 करोड़ रुपये।</li> <li>•नामित लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों में परियोजनाओं की स्थापना के लिए अधिकतम 50 करोड़ रुपये</li> </ul> <p>(डब्ल्यूएलपी -22, पैरा 8.4., पृष्ठ 18/45)</p> <p>नोट: उपरोक्त प्रोत्साहनों का 75% कुल परियोजना लागत के 25%, 50%, 75% और 100% पर किए गए व्यय के आधार पर चार किस्तों में प्रदान किया जाएगा। पार्क में सभी इकाइयों को भूमि का आवंटन पूरा होने पर अगली 10% प्रदान की जाएगी और अंतिम 15%, 80% इकाइयों के वाणिज्यिक संचालन शुरू होने के बाद जारी किया जाएगा।</p>	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास
2	कौशल विकास अनुदान	<p>प्रत्येक परियोजना के लिए 5 वर्ष के लिए कौशल विकास सब्सिडी वजीफे की प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जाएगी।</p> <p>प्रति प्रशिक्षु प्रति माह रुपये 1000 की दर से 6 महीने के लिए अधिकतम 50 प्रशिक्षुओं तक प्रति वर्ष।</p>	कौशल विकास विभाग
3	इलेक्ट्रिसिटी इयूटी में छूट	<p>10 वर्षों की अवधि के लिए 100% की दर से इलेक्ट्रिसिटी इयूटी में छूट प्रदान की जाएगी</p>	ऊर्जा /उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड



3. लॉजिस्टिक्स पार्क

A. फ्रंट एंड इंसेंटिव: (संदर्भ: डब्ल्यूएलपी -22, 9.3.2 (ए), पृष्ठ 32/45)

क्र०स०	मद	प्रोत्साहन	संबंधित विभाग
1	स्टांप शुल्क में छूट	राज्य में कहीं भी लॉजिस्टिक्स पार्क स्थापित करने के लिए क्रय की गई या पट्टे पर ली गई भूमि (कम से कम 10 वर्ष की अवधि के लिए) पर स्टाम्प ड्यूटी 100% की दर से छूट प्रदान की जाएगी	स्टाम्प एव निबधन
2	भू- उपयोग परिवर्तन शुल्क	भूमि उपयोग परिवर्तन शुल्क का 75% माफ (waive off) कर दिया जाएगा।	संबंधित परियोजना क्षेत्र का विकास प्राधिकरण / एजेंसी
3	बाह्य विकास शुल्क	बाह्य विकास शुल्क में 75% की छूट प्रदान की जाएगी	संबंधित परियोजना क्षेत्र का विकास प्राधिकरण / एजेंसी
4	ग्राउंड कवरेज	लॉजिस्टिक्स पार्क परियोजना को समग्र रूप से 60% ग्राउंड कवरेज की अनुमति सेट-बैक, अग्नि सुरक्षा और अन्य एफएसआई प्रविधानों के अधीन दी जाएगी।	संबंधित परियोजना क्षेत्र का विकास प्राधिकरण / एजेंसी
5	अन्य सुविधाएं	<ol style="list-style-type: none"> <li>लॉजिस्टिक्स पार्क को अन्य गैर-लॉजिस्टिक्स सुविधाएं यानी वाणिज्यिक और सामान्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए कुल भूमि क्षेत्र का अधिकतम 30% उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी।</li> <li>लॉजिस्टिक्स पार्क को 'लॉजिस्टिक्स' सुविधाओं के लिए 1 एफएसआई की अनुमति दी जाएगी</li> </ol>	संबंधित परियोजना क्षेत्र का विकास प्राधिकरण / एजेंसी

		<p>और अन्य गैर-लॉजिस्टिक्स सुविधाओं अर्थात वाणिज्यिक और कॉमन फैसिलिटीज हेतु 1.5 एफएसआई तक की अनुमति होगी।</p> <p>3. 'लॉजिस्टिक्स सुविधाओं क्षेत्र' से 'गैर-लॉजिस्टिक्स सुविधाओं क्षेत्र', या इसके विपरीत, फ्लोटिंग एफएसआई अनुमन्य नहीं होगा, लेकिन एफएसआई के फ्लोटिंग की अनुमति 'लॉजिस्टिक्स सुविधाओं' और 'गैर लॉजिस्टिक्स सुविधाओं' के भीतर संबंधित क्षेत्र के लिए दी जाएगी।</p> <p>(डब्ल्यूएलपी-22, Para 9.3.1 (4) iii, iv, Pg 29/45)</p>	
--	--	---	--

**B. बैंक-एंड प्रोत्साहन:** (संदर्भ: डब्ल्यूएलपी -22, 9.3.2 (बी), पृष्ठ 33/45)


क्र०स०	मद	प्रोत्साहन	संबंधित विभाग
1	पूंजीगत सब्सिडी	<p>लॉजिस्टिक्स पार्क के डेवलपर्स को पात्र पूंजी निवेश के 25% की दर से पूंजीगत सब्सिडी निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाएगी:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>राज्य में कहीं भी परियोजना की स्थापना के लिए अधिकतम रुपये 25 करोड़।</li> <li>नामित लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों में परियोजनाओं की स्थापना के लिए अधिकतम रुपये 50 करोड़।</li> </ul> <p>(डब्ल्यूएलपी -22, पैरा 8.4, पृष्ठ 18/45)।</p> <p>नोट: उपरोक्त प्रोत्साहनों का 75% कुल परियोजना लागत के 25%, 50%, 75% और 100% पर किए</p>	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग

		गए व्यय के आधार पर चार किस्तों में प्रदान किया जाएगा। पार्क में सभी इकाइयों को भूमि का आवंटन पूरा होने पर अगले 10% प्रदान किए जाएंगे और अंतिम 15%, 80% इकाइयों के वाणिज्यिक संचालन शुरू करने के बाद जारी किया जाएगा।	
2	कौशल विकास अनुदान	प्रत्येक परियोजना के लिए 5 वर्ष के लिए कौशल विकास सब्सिडी वजीफे की प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जाएगी। प्रति प्रशिक्षु प्रति माह रुपये 1000 की दर से 6 महीने के लिए अधिकतम 50 प्रशिक्षुओं तक प्रति वर्ष।	कौशल विकास विभाग
3	एलेक्ट्रिसिटी इयूटी में छूट	10 वर्षों की अवधि के लिए 100% की दर से एलेक्ट्रिसिटी इयूटी की छूट प्रदान की जाएगी	ऊर्जा /उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

#### 14. गैर-राजकोषीय प्रोत्साहन

1. उ.प्र. वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति-2022 के प्रस्तर 8.1 के अनुसार समस्त पात्र परियोजनाओं को उद्योग का दर्जा प्राप्त होगा। परिणामस्वरूप राज्य के औद्योगिक विकास प्राधिकरणों एवं विकास प्राधिकरणों द्वारा नीति तथा संबंधित नियमावली को अंगीकृत करने के उपरान्त प्रदेश में इस प्रकार की समस्त पात्र लॉजिस्टिक्स परियोजनाओं के लिए औद्योगिक भू-उपयोग एवं औद्योगिक एमएआर अनुमन्य होगा।
2. उ.प्र. वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति-2022 के प्रस्तर 8.2 के अनुसार कम प्रदूषण पद चिन्ह और अपशिष्ट उत्पादन वाले गोदामों और लॉजिस्टिक्स गतिविधि के लिए 'व्हाइट श्रेणी' अनुमन्य होगी।
3. सिंगल विंडो क्लीयरेंस: राज्य सरकार द्वारा राज्य में उद्योगों की स्थापना एवं संचालन हेतु निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अनापत्ति प्रमाण पत्र/स्वीकृति/अनुमोदन प्रदान किए जाने हैं।

4. 24 7 संचालन- तीन पालियों में महिलाओं को उनकी सहमति पर 24 घंटे 7 दिन के प्रचालन की अनुमति दी जाए (सभी पालियों (रात्रि पाली सहित) में महिलाओं को कार्य करने की अनुमति दी जाए, बशर्ते कि ऐसी महिला कर्मचारियों के लिए राज्य श्रम विभाग द्वारा निर्धारित सभी सुरक्षा, परिवहन और अन्य उपाय सुनिश्चित किए जाएं। ) (डब्ल्यूएलपी -22, 8.2, पृष्ठ 16/45)
  5. उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार संवर्धन नीति 2022 में निर्धारित औद्योगिक विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण क्षेत्रों के भीतर अधिमान्य भूमि आवंटन, रू.500.00 करोड़ वा इससे अधिक पूंजी निवेश के लिए इस नीति में परिभाषित लॉजिस्टिक्स पार्क के विकास के लिए फास्ट-ट्रैक आधार पर किया जाएगा। (डब्ल्यूएलपी -22, 8.3, पृष्ठ 16/45)
  15. आवेदन पत्र/ आवेदक से अन्य वांछित विवरण/प्रपत्र तथा उनको जमा किए जाने की स्टेज और यूनीक आईडी इत्यादि के मानक प्रारूप अनुलग्नक-1 पर उपलब्ध है।
  16. उ०प्र० वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति-2022 के उपरोक्तानुसार दिशा-निर्देश एवं मानक संचालन प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से लागू होगी।
- 3- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्तानुसार वर्णित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,  
  
 (मनोज कुमार सिंह) 13.4.23

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त।

### संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू०पी०।
3. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ०प्र०।
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यीडा/गीडा/सीडा/यूपीडा
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पीयूष वर्मा)  
 विशेष सचिव।

**अनुलग्नक-1****Form 1: Application Form for availing front-end subsidies**

(This form & all supporting records should be attested by the Director/Partner/Officer duly authorized by the applicant on his/her own behalf)

Sl.	Description	Details	Supporting Documents
1	Applicants Name & Address		Certificate of Incorporation / registration partnership deed, Trust/Society Registration deed
2	Constitution of Applicant	Company/Partnership firm/Others	(MoA/ Articles/By-laws)
3	location of proposed project		
4	Details of Investors/partners along with partnership details		PAN & DIN (Partnership deed)
5	GST Registration Number		GST Certificate
6	Type of Project	New/Existing (Expansion)	
7	Category	Storage facility/logistics park//cargo terminal/ trucker's park etc.	
8	Registration or license for Logistics Park/warehouse unit		Documentary evidence
9	Proposed date of established of project		
10	Estimated project Investment		Detailed Project report (DPR)
11	Date of First capital Investment in project		Documentary evidence
12	Means of Finance	Promoters Contribution/ Term Loan/ Subsidy from Govt /Any Other (Specify)	Detailed Project report (DPR)
13	Bifurcation of Incentives requested	Stamp Duty, EDC, GC, Capital subsidy, rebate on electricity duty, Skill development, Quality certification Etc.	Detailed Project report (DPR)
14	Net project area	Gross area- deduction for chak	Detailed Project report

15	Existing Project area land Use and required change with status of land	road/ chaknalli/ road etc. (Agri/Industrial/residential) (Purchased/To be purchased)	(DPR) Detailed Project report (DPR) and CLU Application (if already applied for CLU)
16	Is Project area land contiguous	Yes/ No (if No, Provide the full detail)	Detailed Project report (DPR)
17	Is there involvement of any gram sabha/ government land	Yes/ No (if Yes, Provide the full detail)	Detailed Project report (DPR)
18	Requirement of Land Exchange	Yes/No (if Yes, Provide the full detail)	Detailed Project report (DPR) and Land Exchange Application (if already the exchange is proposed)

**The following documents required to be submitted while applying for Unique ID (1<sup>st</sup> Stage):**

- a. Preliminary Project Proposal (CA Certified)
- b. Promoter's Background and Net worth
- c. Certificate of Incorporation
- d. Memorandum of Association
- e. Articles of Association
- f. Directors- PAN Card Copy or Aadhar Card Copy
- g. Copy of Board Resolution
- h. GST Certificate
- i. Shareholding pattern- CA Certified
- j. Feasibility report (CA Certified) which includes the following:
  - Estimated Project Cost and its Breakup
  - Means/Sources of Financing
  - Employment projections for the next 5 years
  - Projected Cash flow statement of 5 years
- k. Audited balance sheet of last 3 yrs. (If it is a new business entity then of holding/sister concern company)- CA Certified
- l. IT Returns of Company of last 3 years
- m. Status of Land Contiguous
- n. Land ownership details: Date wise land ownership/lease details (if land is purchased/already taken on lease).
- o. Proposed ground coverage/FAR is within the permissible norms.
- p. Copy/status of CLU (Change in Land use) permission (If applicable)/Status of Land exchange permission (If applicable)
- q. Self-Declaration by Applicant (form -2)
- r. Details of application if applied for incentives under any other scheme of GoI or GoUP

**The following documents required to be submitted while applying for LoC (2<sup>nd</sup> Stage):**

Along with the documents submitted in the 1<sup>st</sup> stage following documents will be required.

- a. Land related documents
  - Land ownership document showing Land purchase price/Copy of lease deed.

*Manoj*

- Receipt of payment of stamp duty
  - Receipt of payment of registration fee
  - Receipt of payment of Land Conversion charges (If applicable)
  - Permission of Land Exchange (if applicable)
  - Relevant supporting documents for paid price, if purchased from UPSIDA/DI/FIs/Banks in auction
- b. Detailed Project report (certified by Bank/financing institution/empaneled agency) must comprise of Complete project details like project purpose, technology, category, location of project, cost of project with special mention of SOR (Schedule of rates) used for costing or supporting documents in case of market rates, net project area (After deduction of master plan zonal road, expansion area, master plan green belt area), other relevant information Item wise and cost wise details of Plant & Machinery incurred/ envisaged duly certified by Chartered Engineer (Mechanical)
- c. Construction drawings (GAD - general Arrangement, Civil, Etc)
- d. Project Maps, project area demarcation on Sajra Maps, Khasra maps
- e. Copy & details of Building plan approval
- f. Certificate issued by empaneled architect regarding usage of FAR (*Form 7: Regarding usage of FAR*)
- g. Any other project specific detail apart from the above-mentioned details can be sought by respective nodal agencies. Separate checklist can be issued/updated time to time by respective nodal agencies.

*Manaf*

**Form 2: Self Declaration**

1. I, \_\_\_\_\_ do hereby solemnly state that I am proprietor/ partner /director/ \_\_\_\_\_ of M/s \_\_\_\_\_ located \_\_\_\_\_ which is engaged in \_\_\_\_\_ and I have been authorized to file the application for \_\_\_\_\_ (Name of the scheme) under U.P Warehousing and Logistics Policy 2022.

2. I do hereby affirm that all statutory Regulatory approval/Regulatory Clearances required for setting up/operation of my unit shall be obtained/have been obtained.


3. I do hereby affirm that the particulars given in the application are correct. In case any of the statement/information furnished in the application/documents later found to be wrong or incorrect or misleading, I do hereby undertake to refund the entire amount of benefit granted to me along with compound rate of interest @12 % per annum, besides facing legal action in case facts contained in this application are proved to be wrong at the time of verification/checking or otherwise at any stage.

Place:

Name & signature of the authorized person

Date:

Seal of the company

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Manoj', with a horizontal line drawn underneath it.



Form 3: MU: Application for Migration to New Policy W&L 2022.

1.	Project Identification No. (PIN number allotted by Warehouse Portal/Online Application)		
2.	Detail of regulatory Approvals received from Govt. UP	Name of the clearance & Date	
3.	Detail of incentives availed under UP WL Policy-2018		
4.	Present Implementation Status		
5.	Date of Commencement Production / Activity (estimated)		
6.	Fixed Capital Investment (Rs-Crore)	As per DPR	Actual Expenditure incurred (till date)
	LAND		
	BUILDING		
	PLANT & MACHINERY		
	OTHERS		
	TOTAL		
7.	Means of Finance		
8.	Reasons for Migration to New WL Policy 2022		

You want to migrate from WL Policy 2018 to WL  
(Please tick in the box)

Yes	No
-----	----

Policy 2022

Place

Name & signature of the authorized person

Date

Seal of the company

*Manoj*

**Form 4: Issuance of Unique ID:**

**UNIQUE ID  
UP WAREHOUSE & LOGISTICS POLICY 2022**

The records of M/s..... with the regd. office at ..... for warehouse/Silos/Logistics Park/Cold Storage planned at ..... availing Incentives under Uttar Pradesh Warehousing and Logistics Policy 2022 has been verified in accordance with **relevancy and completeness of application** only as per the policy. Thus, the Nodal Agency is issuing Unique ID for availing the front-end incentives only i.e., Stamp duty exemption, concession on land use conversion, exemption in development charges & ground coverage.

**UNIQUE ID: UID/"WL22"/APPLICANT NAME"/ No. Dt....**

The exemptions/ concession as per above shall be provided by the relevant department only on verification of this unique ID issued by Nodal Agency and will communicate the details to the Nodal Agencies. Letter of Comfort (LoC) is not required for availing these incentives at this stage.


*The Concession shall be provided on submission of Bank Guarantee of equivalent amount of the concession to the relevant State Authority/ Agency, and BG shall be released on commencement of commercial operations within the admissible period.*

In case, eventually the application for sanction of LoC is rejected or the project is not completed within the eligible investment period as defined in the policy or violates any provisions of the policy, the front-end incentives provided to the applicant as exemptions/ concession shall be recovered through the Bank Guarantee submitted by the applicant at relevant department.

The Back-end subsidies as listed in the UP Warehouse & logistics policy-2022 shall be provided only after project completion (issuance of completion certificate by Nodal Agency) and commencement of commercial operations. Such benefits will only be provided to the eligible projects to whom the Letter of Comfort (LoC) has been sanctioned.

Dated:

Name & signature of the competent authority- UPSIDA  
(CEO-UPSIDA)



**Form 5: Issuance of Unique ID for Non-Financial incentives:**

**UNIQUE ID  
(For Non -Financial Incentives)  
UP WAREHOUSE & LOGISTICS POLICY 2022**

The records of M/s..... with the regd. office at ..... for warehouse/Silos/Logistics Park/Cold Storage planned at ..... availing **Non-Financial** Incentives under Uttar Pradesh Warehousing and Logistics Policy 2022 has been verified in accordance with **relevancy and completeness of application** only as per the policy. Thus, the Nodal Agency is issuing Unique ID for availing the Non-financial incentives only i.e., for purchasing more than 12.5 acres of land, for exchange of public land, land purchase.

**UNIQUE ID: UID/"WL22"/APPLICANT NAME"/ No. Dt....**

The incentive as per above shall be provided by the relevant authority only on verification of this unique ID issued by Nodal Agency and will communicate the details to the Nodal Agencies. Letter of Comfort (LoC) is not required for availing these incentives at this stage.

Dated.

Name & signature of the competent authority- UPSIDA  
(CEO-UPSIDA)



**Form-6:** Form needs to be filled by applicant for availing Back-End Subsidies (3<sup>rd</sup> Stage)

**A. Application form for information and documents to be submitted at delivery stage:**

Sr. No.	Description	Details
1.	Name & Address of the applicant	
2.	Location of Existing/Proposed Unit	
3.	a. Phased wise details of actual capital investment made* b. Date of establishment of Logistics Park or Logistics Unit.	

\*Attach certificate of Deputy Commissioner Industries, District Industries and Enterprises Promotion Centre or Chartered Accountant (CA).

**B. Details of eligible capital investment in setting up of Logistic Park or Logistic Unit.**

Sr. No	Item	New/Existing	Expansion/ Diversification	Changes in terms with Expansion/ Diversification
1.	Land			
2.	Building			
3.	Other Construction			
4.	Plant & Machinery			
5.	Infrastructure Services			
	Total			

**C. Details of Capital Investment made in setting up of Logistics Park or Logistics Unit:**

Sr. No.	Components	Project Cost in INR		Actual Capital Investment in INR			Total INR	
		As per DPR	As per Appraisal	Before Cutoff Date	In between Cutoff Date and establishment date (if in phases, then phased out capital investment)	From the date of establishment of the last stage till now (Till eligible capital investment period)		
						10%	90%	

**D. Note**

1. All relevant documents to be submitted along with Chartered Accountant's certificate for capital investment made as mentioned above in accordance with rules/Govt. Orders/provision of MSMED Act, 2006.
2. The Respective Nodal Agencies through its empanelled Chartered Accountants as per the provisions mandate by the government will examine and certify the capital investment made by company.
3. The Respective Nodal Agencies shall decide for verification of capital investment (Land, Building, Plant & Machinery) made on site through its panel of consultants/valuators/engineers.
4. In above two reports suggesting the distribution of incentives should be presented before the competent committee for determination of quantum of capital investment.

*Mamf*

**Form 7: Regarding usage of FAR**


Certificate from empaneled Architect regarding usage of FAR TO WHOM IT MAY CONCERN The records of M/s ..... with their regd. Office at ..... and warehouse/cold storage/logistics park/ located at..... have been verified in accordance with criteria mentioned under the **UP WAREHOUSE & LOGISTICS POLICY 2022**. It is certified that the FAR usage as on date of commencement of services/operations/production is as below:

- a) FAR usage for Warehouse: \_\_\_\_\_
- b) FAR usage for storage facility: \_\_\_\_\_

I/We fully understand that any submission made in this certificate if proved incorrect or false, will render me/us liable to face any penal action or other consequences as may be prescribed in the law or otherwise warranted.

Dated:

Name & signature of the Architect Full Address



**Form 8: SANCTION LETTER / LETTER OF COMFORT**

Ref.No.:

Dated:


**Re: Letter of Comfort under Uttar Pradesh Warehousing and Logistic Policy 2022**

Dear Sir,

This is with reference to your application dated.....requesting for grant of Letter Of Comfort under Rules Uttar Pradesh Warehousing and Logistic Policy - 2022 (hereinafter referred to as Rules – 2022) for your proposed **New** project for the setting up of **Warehousing/Logistic unit on .....Sqm of land** with a proposed capital investment of **Rs ..... crores** which include the cost of land Rs..... The Eligible Capital Investment in your project is Rs.....Cr. which include the cost of net area of project land ..... Cr. The incentives/ reimbursements/ rebates that you have applied for are detailed below.


<b>S. No.</b>	<b>Incentives/ Reimbursements/ Rebates</b>	<b>Amount</b>	
1	Stamp Duty Exemption	Rs	Cr.
2	Concession of Land use conversion charges	Rs	Cr.
3	Exemption in Development Charges	Rs	Cr.
4	Capital Subsidy	Rs	Cr.
5	ElectricityDutyExemption	Rs	Cr.
6	SkillDevelopment	Rs	Cr.

In this connection, it is to inform that your request for grant of incentives (as per Rules–2022) has been considered by the Approving Authority in a meeting held on .....the minutes of which has been issued vide letter no .....dated dd.mm.yyyyand approved the incentives/ reimbursements/ rebatesas under:-




The incentives/ reimbursements/ rebates of para numbers as enumerated above shall be provided to the company/firm subject to the fulfilment of entire requirement as stipulated in G.O. No. 49/2022/3243/77-6-2022-4(M)/2022 dated 28.12.2022 and G.O. No. ....dated ..... and as amended from time to time and subject to the terms of approval as above and on the following terms & conditions:-

- 1) The company shall submit a copy of Appraisal Note prepared by a Scheduled Commercial Bank (except Regional Rural Bank) or Financial Institution controlled by these banks or Central Government within six months from the date of issuance of Sanction Letter / Letter of Comfort. The Appraisal will be required to be got done by the industrial undertaking from one of the above-mentioned agencies even if no loan is being availed by it from any financial institution/Bank.
- 2) For correct assessment of the capital investment, the same shall have to be certified by Authorized Director and Statutory Auditor of the company. Based on the certificates provided by the company, Nodal Agency (UPSIDA) shall get assessment & verification of the factual position of capital investment through its empanelled Valuers/CA/ Consultants.
- 3) Company shall setup the **Logistic/Warehousing unit** at its proposed location, for which it is eligible for incentives.
- 4) The company shall furnish all the information as asked by Nodal Agency (UPSIDA) or Government of Uttar Pradesh from time to time as a condition for disbursement, viz. detailed particulars of production, sale, stoppages in production, if any, closure of unit, etc. with clear reasons for same, certified particulars of increase in fixed capital investment, if any, sale/loss of fixed assets, if any, and change in constitution of the unit, audited Statements of Accounts and balance sheet of eligible unit within 6 months of close of each financial year, etc.
- 5) The company shall be required to reimburse administrative expenses equivalent to 1.00% of the amount of benefits sanctioned, to the concerned Nodal Agency, which shall be deducted from the disbursement.



- 6) The disputed matters or clarification required related to implementation of the Uttar Pradesh Warehousing and Logistic Policy Rules – 2022 shall be referred to UPSIDA. If the dispute remains unresolved the same shall be referred to Empowered Committee/High-Level Empowered Committee, whose decision shall be final.
- 7) The right to clarify any subject matter and approval to carry out modification in the scheme shall rest with the Empowered Committee/High-Level Empowered Committee.
- 8) If any information submitted by the company is found to be false, or benefits are found to have been drawn based on concealment of material facts, the Sanction Letter / LoC shall be cancelled, and all benefits released to the undertaking shall become recoverable as stated in the Penal Clause of issued SOP for Warehouse and Logistics Policy 2022.
- 9) Upon achieving the prescribed limits of benefits (quantum/period), or contravention in terms and conditions, the Letter of Comfort would automatically be treated as cancelled.
- 10) The representatives of Government/Nodal Agency (UPSIDA) may visit the proposed site and office of the company and call for the records pertaining to the project for perusal/verification at any time during operation of the scheme. The company shall facilitate/arrange all such visits as and when it is required.
- 11) For the purpose of interpretation of any clauses of this letter, reference shall be made to the relevant Government Orders.
- 12) Company will require to submit the progress report of the project on quarterly basis to the Nodal Agency (UPSIDA).

You are requested to kindly return the duplicate copy of this Letter of Comfort (enclosed) as a token of acceptance of the terms & conditions contained hereinabove.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Manoj', with a horizontal line drawn underneath it.